


**क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रिजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मंगरौखाल-तनसाली सैण-कालिकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण में प्रभावित 8.280 है० भूमि के बदले दूगाने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 16.560 है० भूमि ग्राम ~~श.कोट~~ ~~मल्का~~ की सिविल बेनाप खाता संख्या ~~2.8~~ में कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायसी खेत नम्बर ~~1.1.8.55~~ राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम ~~श.कोट~~ की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।


  
अधिशायी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत

  
जिला अधिकारी,  
अल्मोड़ा



तहसीलदार  
सल्ट जिला-अल्मोड़ा (वतरी)

  
उप जिला अधिकारी  
सल्ट  
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

  
वन क्षेत्राधिकारी,  
जौरारी वन क्षेत्र  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अर. वि०

कोट  
व.प.